न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 178/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/187**
दायर दिनांक :– 26.07.2023 **निर्णय दिनांक :– 14.02.2025**

चुन्नी पुत्री जावताराम पत्नी बगताराम जाति विश्नोई फौत के कायम मुकाम

1. रामरख पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालीणी जिला बाड़मेंर
2. भजनलाल पुत्र शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
3. मोहनी पत्नी शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
4. बाबूलाल पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
5. हरिराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
6. गंगाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
7. पांचाराम पुत्र बगताराम जाति विश्नोई निवासी कातरला तह. गुड़ामालाणी जिला बाड़मेंर
8. भागीरथ पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी सुदाबेनी तह. धोरीमन्ना जिला बाड़मेंर
9. किसनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी सुदाबेनी तह. धोरीमन्ना जिला बाड़मेंर
10. आसूराम पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी सुदाबेनी तह. धोरीमन्ना जिला बाड़मेंर
11. माडूदेवी पुत्री बगताराम पत्नी रामला जाति विश्नोई निवासी ईशरवालों की ढाणी, किमड़ावास, ढढ्वा तहसील चितलवाना जिला जालोर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. संतोष पुत्र कोन्दरलाल जाति विश्नोई निवासी सितोगुना तह. अबोहर जिला फिरोजपुर
2. शैलेन्द्र कोन्दरलाल जाति विश्नोई निवासी सितोगुना तह. अबोहर जिला फिरोजपुर
3. रामचन्द्र पुत्र कोन्दरलाल जाति विश्नोई निवासी सितोगुना तह. अबोहर जिला फिरोजपुर
4. विंगेट डवलपर्स एल.एल.पी. दुकान नम्बर 13–21, 5 वां माला, सन्नी मार्केट मानसरोवर जरिये डायरेक्टर ललित कुमार नरेड़ी, निवासी 248 वैशाली नगर जयपुर
5. मनोहरी पत्नी फरसाराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
6. फरसाराम पुत्र गणपतराम जाति विश्नोई निवासी जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
7. संतोष पत्नी सहीराम जाति विश्नोई निवासी सिमराथल तहसील बाप जिला फलोदी
8. अशोक पुत्र कृष्णा जाति विश्नेाई निवासी सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद
9. सुन्दर पुत्र कृष्णा जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद
10. दलवीरसिंह पुत्र रामरतन जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना जिला फतेहाबाद
11. बलवंत पुत्र रामरतन जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद
12. धौलूराम पुत्र रामरतन जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद

14/2/25

13. शेरसिंह पुत्र रामरतन जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद
14. सोमादेवी पत्नी रामरतन जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना जिला फतेहाबाद
15. हरिराम पुत्र जीतराम जाति विश्नोई नि. सनियाना खण्ड टोहना तह. टोहना जिला फतेहाबाद

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–**1.** श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थीगण के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण मूल दावेदार चूनी पुत्री जांवताराम पत्नी बगताराम के विधिक उत्तरजीवी है और चूनी पुत्री जांवताराम के सगे भाई ठाकराराम वल्द जांवताराम से विरासत में प्राप्त होने वाली वादग्रस्त भूमि में जायज खातेदारी हकूक प्राप्त हुवे। वक्त भू प्रबन्ध सम्वत 2015 में ग्राम कानासर का भू प्रबन्ध होने के समय खेत खसरा नम्बर 656 रकबा 40–14 बीघा, खसरा नम्बर 663 रकबा 26–12 बीघा, खसरा नम्बर 718 रकबा 20–10 बीघा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 160–00 बीघा, खसरा नम्बर 1179 रकबा 120–00 बीघा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 661 रकबा 0–12 बीघा, खसरा नम्बर 662 रकबा 0–05 बीघा कुल रकबा 369–02 बीघा भूमि में ठाकराराम पुत्र जावंताराम 1/2 हिस्सा, रामचन्द्र, सोडाराम पिता कोजा 1/2 हिस्सा पैमाईश के बाद दर्ज अभिलेख की गयी। चूनी के सगे भाई ठाकराराम के निधन पर चूनी के अपने ससुराल ग्राम कातरला में निवास करने का नाजायज फायदा उठाकर सह हिस्सेदार रामचन्द्र, सोडाराम पिता कोजा ने तत्कालीन पटवारी एवं सरपंच से मिलावट कर ठाकराराम पुत्र जांवताराम की बहिन चूनी पुत्री जावंताराम के बजाय अपने नाम विरासत नामान्तरकरण संख्या 21 ग्राम कानासर सरासर गलत स्वीकृत करवाकर चूनी को विरासत में प्राप्त हुई वादग्रस्त भूमि रामचन्द्र, सोडाराम ने अपने नाम गलत एवं गैर कानूनी तरीके से खातेदारी में दर्ज करवा दी। वादग्रस्त भूमि के सभी केतागण बाहर के निवासी है। वादग्रस्त भूमि उन्होने भविष्य में भूमि की किमत बढने एवं आगे विकय करने के प्रयोजन से कय की है, अप्रार्थीण का भूमि पर वास्तविक कब्जा नहीं है। अप्रार्थी विंगेट डवलपर्स अपने प्रतिनिधि के जरिये अविभाजित भूमि को मनमर्जी से घेरकर नाजायज कब्जा करने और प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है, अगर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को गलत अभिलेख की प्रविष्टी के आधार प्रार्थीगण के हिस्से से भूमि विकय कर हस्तान्तरण करने एवं खुर्द–बुर्द करने तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण के जायज हकूकों पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी

14/2/15

जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा प्रार्थीगण दावेदार है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 ता 14 की और से वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि चुन्नी जांवताराम की पुत्री है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित नहीं है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/2/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)